हरी बनाम फतेहसिंह वगैरा

4

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-4-15	पत्रावली पेश हुई/ ~~वकील वादी/~~ ~~प्रतिवादी~~ ~~अनुपस्थित~~ उपस्थित है। श्रीमान् P.O. सा० दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 28-5-15 को पेश हो। रीडर	
28-5-15	वकील वादी उप० है। पत्रावली पेश हुई/ ~~अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है।~~ P.O. साहब ~~दौरे पर/अवकाश पर~~/अन्य कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 5-6-15 को पेश हो। पत्रावली लोक अदालत में कैम्प सलेमपुर पर पेश हो। रीडर	1802-0 28/5/15
5-6-15	पत्रावली आज लोक अदालत शिविर सलेमपुर में पेश हुई। वादीगण हरी व बनेसिंह उपस्थित है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वे अपनी भूमि का सीमाज्ञान करा लेंगे तथा सीमाज्ञान के अनुसार भूमि पर काबिज रहेंगे। वादीगण को दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वाद निर्णित करते हुए वादीगण को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	बनी सरह रामहरी नि० सरूपी 5/6/15 राम० २०१ रामजीलाल फतेहसिंह वारिसान फैसला

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) सलेमपुर

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. हरी पुत्र रतन लाल, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. कैलाश पुत्र रतन लाल, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. बनैसिंह पुत्र शिव लाल, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी ––वादीगण

बनाम

1. फतेह सिंह पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. रामकरण पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. सरूपी बेबा रामधन, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. बृजलाल पुत्र हीरा गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. रामजीलाल पुत्र हीरा, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. सरकार जरिए लैंड होल्डर तहसीलदार तहसीलदार गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 172/2012

वादीगण की ओर से वादी हरी, बनैसिंह व वकील वादी कैलाश की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी सरूपी, बृजलाल, रामकरण, रामजीलाल, फतेह सिंह की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 05.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण प्रतिवादीगण अपनी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करा लेगे एंव सीमाज्ञान के अनुसार काबिज रहेगे। वादी दावा वापिस लेना चाहता है। अतः वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 05.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 अर्जी के लिए स्टाम्प 4 ______ रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	